SKC-DS/1K/12.00

The House reassembled at twelve of the clock,
MR. CHAIRMAN in the Chair

MR. CHAIRMAN: Question No. 166.

Q. No. 166

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: Sir, the hon. Minister has said in his reply that horticultural crops are not covered under the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY), but that they could be insured under the Restructured Weather Based Crop Insurance Scheme. For some crops there is no crop insurance scheme at all. Why is there this difference and what are the reasons for this difference? There is a terrible anomaly between the two Insurance Schemes as a result of which there is tremendous confusion among the farmers and some of the State Governments have not taken up this Scheme at all. Could the hon. Minister kindly clarify what the reasons are for some of the States not taking up these schemes? Is there an intention of the Government to subsume both these schemes under one in order to reduce the confusion at the ground level for the farmers?

<u>प्रश्न संख्या 166 (क्रमागत)</u>

श्री राधा मोहन सिंह : महोदय, "प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना" और पहले की भी जो "कृषि फसल बीमा योजना" थी, उसके तहत जो उपज की फसलें हैं, उनके बीमा का प्रावधान है। इसमें यह तय करने का राज्य सरकार को अधिकार है कि उसके राज्य में किस-किस प्रकार की फसलें हैं, लेकिन वह उपज से संबंधित होनी चाहिए, चाहे वह वाणिज्यिक हो या बागबानी से संबंधित हो। जो दीर्घकालीन बागबानी है, उसके लिए मौसम आधारित बीमा योजना देश में चल रही है और कई राज्य सरकारें मौसम आधारित बीमा की तरह जो चिरस्थायी बागबानी है -- जैसा कि आपने सेब के विषय में सवाल पूछा है, तो पंजाब की सरकार ने सेब को मौसम आधारित बीमा योजना के तहत रखा है। इसी तरह, कई राज्यों ने ऐसा किया है। आप देखेंगी कि इस वर्ष आन्ध्र प्रदेश की सरकार ने आम का बीमा भी मौसम आधारित बीमा योजना के तहत किया है। यह प्रावधान बहुत स्पष्ट है। ...(व्यवधान)...

MR. CHAIRMAN: Just a minute, please. Yes; second question please.

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: Sir, I just want some clarity on this. Under the PMFBY, you have given a subsidy of 90 per cent on the premium whereas under the RWBCIS, you have given a subsidy of just 50 per cent. दोनों में इतना फर्क क्यों है? क्या आपने यह सोचा है कि अगर आप इतनी discrepancies रखेंगे, तो जो crops weather की वजह से affect होते हैं, उनकी क्या

<u>प्रश्न संख्या 166 (क्रमागत)</u>

हालत होगी? There is 90 per cent subsidy being given under one scheme and 50 per cent in another. मुझे उसका clarification चाहिए।

श्री राधा मोहन सिंह : महोदय, "प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना" में जो प्रीमियम का रेट है, वही रेट मौसम आधारित बीमा योजना का भी है। दोनों के प्रीमियम में कोई अंतर नहीं है, जो संशोधित किया गया है। जब "कृषि फसल बीमा योजना" को संशोधित कर "प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना" लाई गई और प्रीमियम की दरें कम की गईं, तो जो मौसम आधारित बीमा योजना है, उसमें भी प्रीमियम की दर को कम कर दिया गया।

श्रीमती रेणुका चौधरी : मैं सब्सिडी के बारे में पूछ रही हूँ। आपके PMFBY में सब्सिडी अलग है और मौसम आधारित बीमा योजना में सब्सिडी अलग है। उनमें प्रीमियम एक ही है, लेकिन सब्सिडी में फर्क है। यही मैं पूछना चाहती हूँ।

श्री राधा मोहन सिंह : इसमें सब्सिडी नहीं दी जाती है, बल्कि इसमें मुआवजा दिया जाता है। जो cost of cultivation है, उसमें फसल बीमा योजना के तहत लागत की भरपाई की जाती है। पहले दोनों के अंदर एक capping थी, उस capping को भी हटा दिया गया है और यह कहा गया है कि cost of cultivation की पूरी भरपाई की जाएगी। यह संशोधित हुआ है।

<u>प्रश्न संख्या 166 (क्रमागत)</u>

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: Sir, ….

MR. CHAIRMAN: You can't have a discussion on this. You have asked a question and he has answered it. Now, Shri Sharad Yadav… …(Interruptions)…

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: Sir, I added to a question that I had already asked him. So, I am entitled to ask him to clarify.

MR. CHAIRMAN: If you are not satisfied, please follow the procedure. Shri Sharad Yadav. …(Interruptions)…

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: But, Sir, I have a second question.

MR. CHAIRMAN: You have asked two questions.

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: No, Sir. It was not a question. ….(Interruptions)….

MR. CHAIRMAN: Then, please don't get into an argument. Please listen to the answer and if you want to ask your second question, please ask it.

(<u>FOLLOWED BY NBR/1L</u>)

MCM-NBR/1L/12.05

प्रश्न संख्या 166 (क्रमागत)

SHRI JAIRAM RAMESH: What if he gives a wrong answer?

MR. CHAIRMAN: If a wrong answer is given, you know the procedures about it.

श्रीमती रेणुका चौधरी : सर, क्लाइमेट चेंज की वजह से ड्राउट होता है, साइक्लोन होते हैं और मानसून की डेफिशिएंसी भी होती है। इसकी वजह से नारियल जो आंध्र प्रदेश, केरल and all these States have been impacted. Not only that, इसमें अलग से बीमारी भी हो गई है जिसने नारियल को अफेक्ट किया है। इसकी वजह से nut production भी गिर गया है। हालांकि अपने बच्चों को भी we give coconut water as oral rehydration. Now, coconut is covered under the Coconut Palm Scheme under which premium is determined on variability at the block level, which they are using since long, nut yield and the age of palm. These are very confusing factors to compute.

MR. CHAIRMAN: What is the question?

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: So, my question is: Will the hon. Minister take into consideration bringing this crop under PMFBY to facilitate coconut farmers?

प्रश्न संख्या 166 (क्रमागत)

श्री राधा मोहन सिंह : निश्चित रूप से इसमें यदि कोई विसंगति होगी तो हम दूर करेंगे।

श्री शरद यादव : श्रीमन्, जो फसल बीमा योजना है, उसमें किसान क्रेडिट कार्ड से बैंक से जो लोन लेते हैं, उसमें पैसा काट लेते हैं। जब फसल की बरबादी हो जाती है तो किसान को यह मालूम भी नहीं है कि किस इंश्योरेंस कम्पनी से लेना है। किस तरह से फसल बीमा या जो बरबादी हुई है, उसको कहां से लेना है? इस मामले में मैं आपसे अंत में एक ही बात पूछना चाहता हूं कि फसल बीमा पर किसान क्रेडिट कार्ड से, कोऑपरेटिव से कितना पैसा पूरे देश में भारत सरकार किसान से लेती है? कृषि मंत्री जी से मैं कहूंगा कि मैं एक बड़े धरने में गया था। जब किसान की फसल या किसी तरह की बरबादी हो जाती है तो उसे मालूम ही नहीं है कि किससे यह मिलेगा, कौन सी इंश्योरेंस कम्पनी से लेना है। यानी इंश्योरेंस कम्पनी और बैंक किसान से पैसा ले रहा है, लेकिन उनको वापस करने का काम नहीं कर रहा। इसलिए टोटल अमाउंट आप बताएं कि किसानों से कितना लेते हैं और किसानों को क्यों नहीं बतलाया जाता कि किस इंश्योरेंस कम्पनी से उनको लेना है? यानी, क्रेडिट कार्ड से जब पैसा काटते हैं तो इसके बाद उनको बताना चाहिए कि वे किससे लेंगे।

श्री राधा मोहन सिंह : महोदय, यह जो कृषि बीमा योजना देश में चल रही थी, उसमें बहुत विसंगतियां थीं। उसको दूर करके पिछले खरीफ के सीज़न से इसको स्टार्ट किया गया है। पहले जो ऋण लेते थे, उनका प्रीमियम कटता था, तो 2015 की खरीफ में 3 करोड़ 9 लाख किसानों ने बीमा कराया था। इसमें मात्र 15 लाख किसान ऐसे थे

<u>प्रश्न संख्या 166 (क्रमागत)</u>

जिन्होंने स्वेच्छा से अपने पैसे देकर बीमा कराया था, बाकी सब जो ऋण लेते थे, उनका उसमें कट जाता था। पहले इसमें आकर्षण नहीं था। बाहर के किसान जो ऋण नहीं लेते थे, वे फसल बीमा योजना में भाग नहीं लेते थे, क्योंकि इसमें कैपिंग थी। जबप्रधान मंत्री फसल बीमा योजना में बदलाव किया गया, तो उसके बाद इस वर्ष जो खरीफ की फसल हुई, इसमें 3 करोड़ 80 लाख किसानों ने बीमा कराया और इसमें सवा लाख किसान ऐसे थे जो गैर ऋणी थे। इसका मतलब यह है कि यह योजना एक आकर्षण योजना है, उसका एक उदाहरण है। दूसरा, बीमा कौन कम्पनी करे, किस-किस फसल का बीमा हो, यह राज्य सरकार टेंडर करती है। 5 सरकारी कम्पनियां हैं, 10 प्राइवेट हैं और राज्य सरकार टेंडर करती है और जो भी इस टेंडर में शामिल होता है, तो राज्य सरकार जितना पारदर्शी तरीके से करती है, उतना यह अच्छा होता है। कई जगह देखा गया कि जब यह नई फसल बीमा योजना लागू हुई, जिसकी अंतिम तिथि 30 तारीख है, चूंकि इस बीमा योजना से राज्य सरकार के खजानों पर बोझ बढ़ा है और भारत सरकार के खजाने पर भी, चूंकि कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन पूरा देना है, तो कई राज्य सरकारों ने पहले तो न लागू करने की बात की। कई ने लागू किया तो जब अंतिम तारीख 30 है, तो वे 28 को नोटिफिकेशन करते हैं। अब दो दिन का समय है। निश्चित रूप से जिस कम्पनी को देगा, किसान तक पहुंचना, सारी जानकारी देने में कठिनाई होती है। इसमें राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन फिर भी हमने सब की 10 दिन डेट भी बढ़ाई, ताकि अधिक से अधिक किसानों के पास राज्य सरकार जाए और राज्य

प्रश्न संख्या 166 (क्रमागत)

सरकार के जो ब्लॉक लेवल पर, जिला लेवल पर कोऑपरेटिव, एग्रीकल्चर के अफसर होते हैं, पंचायत स्तर पर भी फार्मर्स फ्रेंड्ज़ होते हैं....

(1M/SC पर जारी)

SC-HK/12.10/1M

श्री राधा मोहन सिंह (क्रमागत) : उनके सहयोग से बीमा कम्पनियों से उनका संबंध बनता है, बैंकों से संबंध बनता है। हम इससे सहमत हैं कि कई राज्य सरकारों ने..(व्यवधान)..

MR. CHAIRMAN: Please don't comment. …(Interruptions)…

श्री राधा मोहन सिंह : कई राज्य सरकारों ने इसमें कम समय दिया, ताकि उनके राज्य के खजाने पर बोझ न पड़े, लेकिन ज्यों-ज्यों किसानों का दबाव बढ़ता जा रहा है, राज्य सरकारें भी अब इस दिशा में थोड़ा आगे बढ़ रही हैं। जहां तक प्रीमियम कितना लिया गया, इसका विवरण मैं निश्चित रूप से आपको दे दूंगा।

श्री शरद यादव : मेरा आपसे निवेदन है कि आप जो बात कह रहे हैं, मैं उससे सहमत हूं, लेकिन यह तो पता चलना चाहिए कि जब किसान क्रेडिट कार्ड से या कोऑपरेटिव बैंक से उनका पैसा काटा जाता है, तब उसी समय उन्हें बताना चाहिए कि कौन सी इंश्योरेंस कम्पनी है, आपको कौन सा फसल बीमा मिलेगा। इसके संबंध में राज्य सरकारों से बात की जानी चाहिए। हमारा किसान आंदोलन चल रहा है, अलवर का

<u>प्रश्न संख्या 166 (क्रमागत)</u>

चन्द्रशेखर महीनों से इसके लिए संघर्ष कर रहा है, इसलिए कम से कम यह तो पता चलना चाहिए कि आप जो पैसा काट रहे हैं तो कौन सी इंश्योरेंस कम्पनी उसको देगी?

श्री राधा मोहन सिंह : सर, पहली बार पिछली खरीफ में यह योजना शुरू हुई है और मैंने पहले भी बताया कि राज्य सरकारें अंतिम डेट के दो दिन पहले यदि नोटिफिकेशन करेंगी कि फलां कम्पनी इस जिले में जाएगी, तो दो दिनों में तो कठिनाई होगी ही, लेकिन फिर भी हमने दस दिन का समय बढ़ाया और हम राज्य सरकारों से लगातार यह आग्रह करते हैं, बैठक करते हैं कि आप लम्बा समय बहुत पहले ही डिक्लेयर कर दीजिए कि कौन सी कम्पनी किस जिले में बीमा करेगी, ताकि उन्हें पर्याप्त समय मिल सके, जानकारी मिल सके।

SHRI K.T.S. TULSI: Sir, according to the answer that is given, neither perennial nor horticulture crops like apple, cardamom, are covered by Bima Yojana. The answer further states that in 2002 there was a Committee which was appointed to go into the question of inclusion of these crops also under the Bima Yojana and it was not found to be feasible in 2002. Are we to understand that since 2002 the present Government has taken no steps to include these crops, perennial as well as horticulture crops, in the Bima Scheme? Then what is the use of the Scheme?

<u>प्रश्न संख्या 166 (क्रमागत)</u>

श्री राधा मोहन सिंह : सर, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि आप देखेंगे कि कर्णाटक ने 2016 में खरीफ में Tomato को भी मौसम आधारित बीमा योजना के अंतर्गत लिया है। इसी तरह से महाराष्ट्र ने प्याज को लिया है, मेघालय ने आलू का फसल बीमा किया है, तमिलनाडु ने आलू और Tapioca का किया है। इसी तरह से कर्णाटक ने Guava, Ginger, Acid Lime और कई बागवानी फसलों का बीमा किया है, आन्ध्र प्रदेश ने Tomato का किया है, Banana का किया है, Cashew का किया है, Mango का किया है। इस प्रकार ये सब इसमें शामिल हैं। जहां तक इलायची का सवाल है, मसाला बोर्ड के अंदर यह चर्चा चल रही थी कि जो मसाले काम में आते हैं, इनका भी बीमा शुरू होना चाहिए। अभी सितम्बर 2016 से मसाला बोर्ड ने पायलट प्रयोग शुरू किया है और उस पायलट प्रयोग के तहत उसने चाय, कॉफी, रबड़, मसाला और छोटी तथा बड़ी इलायची का लगभग...उन जिलों की संख्या मुझे याद नहीं है क्योंकि यह वाणिज्यिक मंत्रालय का है..(व्यवधान).. एक मिनट सर..(व्यवधान).. तो मसाला बोर्ड ने सितम्बर 2016 से पायलट प्रयोग के रूप में Revenue Insurance Scheme for Plantation Crops नामक योजना शुरू की। इसके लिए..(व्यवधान)..वह मैंने पहले बताया। देखिए, जो उपज है, उससे संबंधित जो अनाज है, बागवानी है, जो चिरस्थायी बागवानी है, इन सबका या तो प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत या मौसम आधारित बीमा योजना के तहत बीमा हो रहा है। हमने अभी पढ़कर भी बताया कि कौन-कौन से राज्य क्या कर रहे हैं।

प्रश्न संख्या 166 (क्रमागत)

MR. CHAIRMAN: Please, don't interrupt. …(Interruptions)… राम नारायण जी, आप अपना सवाल पूछिए।

श्री राम नारायण डूडी : सभापति महोदय, अभी मंत्री जी फसल बीमा योजना के संबंध में उत्तर दे रहे थे। मैं मंत्री जी से यह कहना चाहूंगा कि एक तो वह काश्तकार, जो लोन लेता है या किसी तरह से इंतज़ाम करता है और ऐसे काश्तकार हैं जो अलग से फसलों का बीमा कराते हैं। एक criteria कर दिया गया है कि individually यदि किसी के खेत में कोई नुकसान होता है तो उनको बीमा नहीं मिलता है, न कम्पनियां देती हैं।

(1एन-जीएस पर जारी)

KSK-GS/1N/12.15

श्री राम नारायण डूडी (क्रमागत) : मैं यह practical बात कह रहा हूं। मंत्री जी, जैसे कोई नहर टूट गयी, उसकी वजह से फसल का सफाया हो गया, चाहे वह जीरा था, चाहे अजवाइन थी, चाहे मेथी थी, चाहे गेहूं था या कोई फसल थी, उस पर फसल बीमा लागू नहीं होता। जिन खेतों के अंदर सर्दी की वजह से फसल खराब हो जाती है, कुछ निश्चित एरिया में, तो ऐसे में भी बीमा कम्पनियां कहती हैं कि नहीं, नहीं वह तो पूरे गांव का क्राइटीएरिया है। जिस प्रकार से व्यक्ति का अपना बीमा होता है और उस व्यक्ति को बीमा का क्लेम मिलता है, उसी प्रकार से काश्तकार को व्यक्तिगत रूप से खेत का बीमा क्लेम करने का क्या कोई प्रावधान आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, यह मैं पूछना चाहता हूं।

<u>प्रश्न संख्या 166 (क्रमागत)</u>

श्री राधा मोहन सिंह : सर, माननीय सदस्य का पुराना अनुभव ठीक है। मान लीजिए कि कोई ओलावृष्टि हुई और किसी गांव के चार खेत में ओला पड़ गया तो उस खेत के किसान को फसल बीमा का लाभ नहीं मिलता था। बाढ़ आई और पांच किसान के खेत कट गए, कोई स्थानीय आपदा आई और एक गांव में कुछ किसानों का अधिक नुकसान हुआ, तो उनको फसल बीमा योजना का लाभ नहीं मिलता था, लेकिन अभी जो नई फसल बीमा योजना आई है, उसके अंदर बिल्कुल साफ है कि स्थानीय आपदाओं में खेतबार का भी यदि अधिक नुकसान होता है, तो उसका बीमा दिया जाएगा। पूरे बीमा में यह भी व्यवस्था की गई है कि फसल कटने के बाद - पहले फसल कट गई और उसके बाद यदि आपदा आ गई, तो उसकी बीमा राशि नहीं मिलती थी, लेकिन अब फसल कटने के 14 दिन तक भी यदि कोई आपदा आती है और किसान का नुकसान होता है, तो उसका cost of cultivation दिया जाएगा, खेतबार भी और कटाई के बाद भी, इसकी नई प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना में व्यवस्था कर दी गई है।

(समाप्त)

Q.No.167

SHRI RIPUN BORA: Sir, the hon. Minister, in his reply, has very tactfully denied the adverse effects of demonetization on the farmers, but he is compelled to admit it in the latter part of his reply. That is why, he has announced some remunerative measures and incentives to the farmers as a compensation. The hon. Minister has announced only the grant of interest waiver and that too only for two months, that is, for November and December. But, Sir, in comparison to the great damage caused to the farmers, this grant of interest waiver for two months is nothing. So, we have demanded waiver of loan and not just the waiver of interest. So, I would like to know from the Minister whether he will declare the waiver of loan, instead of only the grant of interest waiver and that too only for two months, to all the farmers.

श्री राधा मोहन सिंह : सभापति महोदय, विमुद्रीकरण के बाद यह सवाल उठना शुरू हुआ कि किसानों का नुकसान हो रहा है। उस समय भी हमने कहा था कि हमारी बुवाई इसी पीरियड के पिछले सीज़न की तुलना में ज्यादा हुई है। फिर भी, हमने किसानों को राहत देने के लिए जो योजनाएं चलाई थीं, उनमें पहली योजना तो यह थी कि दो महीने तक जितने बीज बिक्री केन्द्र थे, चाहे उसमें भारत सरकार की दुकानें थीं या राज्य सरकार की दुकानें थीं, उन पर 500 रुपये का नोट और 1000 रुपये का नोट लिया

<u>प्रश्न संख्या 167 - (क्रमागत)</u>

जाएगा और उन नोटों को लेकर बदले में किसानों को बीज दिया जाएगा। इसका अच्छा असर हुआ और बुवाई में सात प्रतिशत की वृद्धि हुई। फिर भी, यदि कुछ असर पड़ा है, तो हम अभी तक भारत सरकार की ओर से तीन प्रतिशत की ब्याज सहायता देते हैं। उस दो महीने के अंदर यदि किसान को थोड़ी कठिनाई हुई होगी या नुकसान हुआ होगा, तो चार प्रतिशत जो वह देता है, उसको भी माफ कर दिया और केबिनेट ने इसके लिए 650 करोड़ रुपये अनुमोदित किए और हमने बैंकों को कहा कि किसान के खाते में दो महीने का पूरा ऋण जो चार प्रतिशत वह देता है, वह राशि भी डाल दो और यह किसान हित में किया गया है।

<u>(HMS/1O पर आगे)</u>

<u>GSP-HMS/12.20/1O</u>

SHRI RIPUN BORA: Sir, in para VI at page 3, the hon. Minister has said, "The extension of the cut-off date for submission of premium proposal for cash crops for certain States under *Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana* (PMFBY)…" Sir, it is very negligible as this has been extended only for cases where the farmer's premium was due within the period of 15th December, 2016 to 31st December, 2016. Only they have been extended till 10th of January, that is, only for ten days. It is very, very meagre in comparison to the damages caused. Sir, my question to the hon. Minister is:

प्रश्न संख्या 167 - (क्रमागत)

will the Minister cover all the crops and all the farmers in all the States under the *Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana*? Sir, in my State… …(Interruptions)…

MR. CHAIRMAN: Please ask your question. …(Interruptions)… Don't give commentaries. …(Interruptions)…

SHRI RIPUN BORA: Sir, in my State, the *Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana* has still not been implemented. So, my question to the hon. Minister is: will it cover all the States or not?. …(Interruptions)…

MR. CHAIRMAN: Please do not repeat your question. Please. …(Interruptions)… Hon. Minister, please go ahead.

श्री राधा मोहन सिंह : महोदय, मैंने पूर्व प्रश्न के जवाब में भी बताया कि पहले जो किसान ऋण लेते थे, उस में बैंक उनका प्रीमियम काट लेता था, इसलिए बीमा कराना उनकी नियति थी, लेकिन कैपिंग के कारण उनकी पूरी भरपाई नहीं होती थी, इसलिए गैर ऋणी किसान का उसमें आकर्षण नहीं था। अब जो नई फसल बीमा योजना आई, उससे इस योजना में आकर्षण बढ़ा और जहां 2015 की खरीफ में 15 लाख गैर ऋणी किसानों ने बीमा कराया था, तो वर्ष 2016 की खरीफ में सवा लाख गैर ऋणी किसानों ने खुद प्रीमियम जमा कर के बीमा कराया। महोदय, हमारा राज्य सरकारों से आग्रह है कि अभी 30 प्रतिशत किसान इस योजना में कवर होते हैं, हम अब इस कवर को 40 से 50

<u>प्रश्न संख्या 167 - (क्रमागत)</u>

प्रतिशत तक ले जाना चाहते हैं। इस के लिए हम राज्य सरकारों के साथ मिलकर इस योजना का और अधिक प्रचार-प्रसार कराना चाहते हैं। हमने इस के लिए राशि भी बढ़ायी है। पहले इस में 5 हजार करोड़ का प्रावधान था, इस बार बढ़ाकर 9 हजार करोड़ किया है। हम तो चाहते हैं कि यह शत-प्रतिशत हो जाए और यह बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन हम चाहते हैं कि कम-से-कम 50 प्रतिशत किसानों को यह सुरक्षा कवच प्रदान हो जाए।

जहां तक बीमा की तिथि बढ़ाने की बात है, आपके ध्यान में यह बात होगी कि हम भी आखिर जीवन बीमा कराते हैं, उस में अगर मरने का दिन तय हो जाए, तो कोई बीमा कंपनी हमारा बीमा नहीं करेगी। बीमा कराते समय हमें पता नहीं होता कि हमारी मृत्यु कब होगी। इसी तरह से फसल बीमा के लिए भी तिथि निर्धारित होती है। उसके लिए राज्य सरकारें भी आग्रह करती हैं और इस बार कुछ राज्य सरकारों ने आग्रह भी किया और हमने खुद विमुद्रीकरण के प्रभाव को देखा और 10 दिन के लिए इस की तिथि पूरे देश में बढ़ा दी गयी थी।

SHRI K.K. RAGESH: Sir, in the reply, the hon. Minister has enlisted numerous relief measures taken after demonetization for the farmers. I think, the hon. Minister is well aware of the fact of the reports that throughout the country, the farmers had to destroy their crops, especially, perishable crops, which included vegetables, fruits and even milk.

प्रश्न संख्या 167 - (क्रमागत)

Sir, irrespective of all such measures, which are enlisted by the hon. Minister, why did all such unfortunate incidents happen, and, whether the Minister is aware of the fact that all such steps taken by the Government went in vain and were ineffective? Is the Government aware of this fact?

श्री राधा मोहन सिंह : महोदय, मांग और आपूर्ति जो कि बाजार के कारक हैं, ये उत्पाद की क्वालिटी और फसल मौसम द्वारा निर्धारित होते हैं, लेकिन जहां तक टमाटर, आलू, प्याज, सरसों के बाजार भाव का सवाल है, ये कृषि उपज मंडी के थोक मूल्य इस पीरियड में क्या रहे, ये हमने अपने जवाब में दिए हैं और कुछ इलाकों में यह हो सकता है क्योंकि वहां की परिस्थितियों पर भी बाजार भाव निर्भर करते हैं, लेकिन हमने इन के थोक मूल्य अपने जवाब में दिए हैं। आप उन्हें देख सकते हैं।

(1 पी/एएससी पर आगे)

ASC-SK/12.25/1P

श्री लाल सिंह वडोदिया : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि प्याज, टमाटर, बैंगन और मिर्च आदि सब्जियों को कोल्ड स्टोरेज में नहीं रखा जाता है। जब इन सब्जियों की पैदावार बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो उस समय किसान का खर्चा भी नहीं निकलता और इन सब्जियों को कम दामों में बेचा जाता है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने कोई ऐसी योजना बनाई है कि इन सब्जियों को कोल्ड स्टोरेज में रखा जा सके और किसान को घाटा भी न हो?

<u>प्रश्न संख्या 167(क्रमागत)</u>

श्री राधा मोहन सिंह : यह जो सरकारी खरीद का काम है, यह माननीय खाद्य मंत्री जी के मंत्रालय से मूल्य स्थिरीकरण फंड से संबंधित है। नई सरकार आने के बाद इस फंड की स्थापना की गई। हम इस फंड के माध्यम से खरीद करते हैं, जिसका समर्थन मूल्य है, तो हम उसको खरीदते हैं। अब राज्यों के अंदर भी मूल्य स्थिरीकरण फंड का निर्माण शुरू कर दिया है। आन्ध्र प्रदेश को 25 करोड़, तेलंगाना को 9 करोड़ और पश्चिमी बंगाल को 5 करोड़ की राशि राज्य मूल्य स्थिरीकरण फंड स्थापित करने के लिए दी गई है। हमारे मंत्री जी इस दिशा में पूरा प्रयास कर रहे हैं और राज्यों से बात हो रही है। राज्यों से बात करके यह लक्ष्य है कि सभी राज्यों के अंदर मूल्य स्थिरीकरण फंड स्थापित हो जाए।

इसके अलावा हमारी दूसरी योजना ' बाजार हस्तक्षेप योजना ' है। जैसे आलू की कीमत कम हुई, प्याज की कीमत कम हुई और अभी 10 प्रतिशत उत्पादन ज्यादा हो गया और 10 प्रतिशत दाम नीचे आ गया, तो राज्य सरकार एक प्रस्ताव बनाकर देती है और हम उसको मंजूरी देते हैं, तो उसके तहत भी खरीद की जाती है और की गई है। यदि आप चाहेंगे, तो हम इसका पूरा विवरण दे सकते हैं।

एक तो 'मूल्य समर्थन योजना' है तथा एक 'बाजार हस्तक्षेप योजना' है और तीसरी 'मूल्य स्थिरीकरण योजना' भी नई योजना है। पहली दोनों योजनाएं तो पुरानी योजनाएं हैं। एक बंद पड़ी हुई योजना थी। पिछले दो वर्षों के अंदर इन तीनों योजनाओं

<u>प्रश्न संख्या 167(क्रमागत)</u>

के माध्यम से बड़े पैमाने पर खरीदारी हुई है। यदि माननीय सदस्य इसका पूरा विवरण चाहेंगे, तो मैं उपलब्ध करा सकता हूं।

SHRI RANJIB BISWAL: Sir, the hon. Minister has denied the effect of demonetization on farmers. But, in the State of Odisha, Sir, there is a spate of farmer suicides due to falling prices of crops. Is the Minister aware of that and is he thinking of making it compulsory to insure the farmers? That is my question.

श्री राधा मोहन सिंह : महोदय, जहां तक मूल्य का सवाल है, तो हमारे माननीय मंत्री Food and Supplies Ministry से हैं, इनके पास आंकड़ा होगा, लेकिन मेरा अपना अनुभव है कि जब मैं दिल्ली से बंगाल जाता हूं, तो सौ किलोमीटर दाएं और बाएं, जो आज समर्थन मूल्य तय है, वह भी किसान को नहीं मिल रहा है। हम चार-पांच राज्यों ओडिशा, झारखंड, बिहार, बंगाल और यूपी में देख रहे हैं, हालांकि आन्ध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र, मैं अन्य राज्यों का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन कई राज्यों के पास उतना राशन नहीं होता है, जितना कि उसको अपने राज्य को देना होता है। माननीय रामविलास जी इस बारे में कभी विस्तार से बताएंगे, तो जो समर्थन मूल्य घोषित है, वह भी किसान को नहीं मिल रहा है। ...(व्यवधान)...

SHRI RANJIB BISWAL: Sir, my question is on farmer suicides.

श्री सभापति : ये farmer suicides पर प्रश्न पूछ रहे हैं, आप इसका जवाब दे दीजिए।

<u>प्रश्न संख्या 167(क्रमागत)</u>

श्री राधा मोहन सिंह : महोदय, हम राज्यों से बात करते हैं और हमारी कोशिश होती है कि किसानों को अच्छा दाम या समर्थन मूल्य या दाम मिलता है, तो जो हमारी तीन योजनाएं हैं, उनका उपयोग करें और खरीदारी करें, ताकि किसानों को उचित मूल्य मिल सके। जितनी भी किसान वेलफेयर की योजनाएं चलाई गई हैं, उनका क्रियान्वयन तेजी से करें, इस दृष्टि से हम काम कर रहे हैं। ...(व्यवधान)...

SHRI RANJIB BISWAL: I am asking about farmer suicides. Does he have any information?

श्री सभापति : ये farmer suicides पर प्रश्न पूछ रहे हैं।

श्री राधा मोहन सिंह : सर, मैं वही बता रहा हूं कि farmer suicides तभी करता है, जब उस पर संकट आता है।

SHRI RANJIB BISWAL: I am asking about farmer suicides. Does he have any information?

श्री सभापति : क्या इस पर कोई information है, हां या नहीं?

SHRI RANJIB BISWAL: Do you have any information about Odisha suicides?

श्री राधा मोहन सिंह : हमारे यहां आत्महत्याएं कितनी हुईं, इस बारे में हम गृह मंत्रालय के अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो से आंकड़े लेते हैं, ...(व्यवधान).....

<u>प्रश्न संख्या 167(क्रमागत)</u>

SHRI RANJIB BISWAL: Sir, I need your protection.

श्री राधा मोहन सिंह : तो हम वहां से आंकड़े मंगवा कर माननीय सदस्य को उपलब्ध करा देंगे। ..(व्यवधान)....

SHRI RANJIB BISWAL: Sir, I am talking about insurance and suicides.

श्री सभापति : आप वह आंकड़ा मंगवा कर इनको दे देंगे। That is an assurance given by the Minister. Now, Question 168. ..(Interruptions).. It is an assurance. Please sit down. Question 168.

(Ends)

(Followed by YSR/1Q)

LP-YSR/12.30/1Q

प्रश्न संख्या 168

श्रीमती कहकशां परवीन : सभापति महोदय बहुत-बहुत शुक्रिया। रेशमी शहर भागलपुर की हालत बहुत खराब है। वहाँ के बुनकर भुखमरी के कगार पर हैं। बुनकर महाजनों से कर्ज़ लेकर कपड़ा तैयार करते हैं। कपड़ा तैयार करने की कीमत..(व्यवधान)..

श्री सभापति : आप अपना सवाल पूछिए।

श्रीमती कहकशां परवीन : जी। उनको इसकी सही कीमत नहीं मिल पाती। वे पूँजी और बाज़ार के अभाव में बदहाली की स्थिति में पहुंच गए हैं। सरकार ने अक्तूबर, 2016 में सर्वे का काम शुरू करवाया था। मैं जानना चाहती हूं कि उस सर्वे का काम पूरा हुआ या नहीं हुआ? सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि अगर सर्वे का काम पूरा हुआ है और उसके जो नतीजे निकले हैं, उस संदर्भ में यह सरकार उन नतीजों के आधार पर कौन-से कदम उठा रही है, जिससे इनकी स्थिति में सुधार लाया जा सके?

श्री अजय टम्टा : सभापति जी, माननीय सदस्या ने एक विषय उठाया कि बुनकर भुखमरी के कगार पर हैं, मैं उनको यह बताना चाहता हूं कि हमने इसके उत्तर में राज्य सरकार द्वारा जानकारी जुटानी चाही थी और राज्य सरकार ने हमें सूचित किया है कि उनके पास सिल्क बुनकरों की भुखमरी की कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है।

दूसरा विषय, चूँकि वास्तव में यह सत्य है कि भागलपुर के रेशम की पूरे भारत और पूरे विश्व में बहुत अच्छी छवि बनी रहती है, मगर मैं यही कहना चाहता हूं कि देश

<u>प्रश्न संख्या 168 - (क्रमागत)</u>

में जो रेशम का काम है, वह मलबरी, टसर, एरी और मूगा के रूप में होता है। भागलपुर में जो उत्पादन होता है, वह टसर का अत्यधिक होता है। वहाँ टसर पर ही काम होता है। उस कार्य को करने के लिए उसका उत्पादन भी लगातार बढ़ रहा है। मैं आपको उस उत्पादन की भी एक जानकारी देना चाहता हूं। यह जिस प्रकार से देश के अंदर है, उसी प्रकार से बिहार और भागलपुर में है। 2013-14 में टसर का जो कुल उत्पादन था, वह पूरे देश में 2619 मीट्रिक टन था। यह उत्पादन बिहार में, भागलपुर में 32 मीट्रिक टन था। मैं आपको इस बार का आंकड़ा दे रहा हूं, बीच के आंकड़े नहीं दे रहा हूं। यह उत्पादन 2015-16 में 41 मीट्रिक टन था।

माननीय सभापति जी, हमारी सरकार द्वारा 2014-15 में हथकरघा बुनकरों के उत्थान के लिए भागलपुर मेगा क्लस्टर पर काम हो रहा है। इसके अंतर्गत वहाँ पर 5,084 लूम्स हैं। यह कार्य हमारे द्वारा स्वयं किया गया है। यदि हम लूम में लोगों के रोजगार और उनके उत्थान की बात करें तो इसमें लगभग 10,000 लोगों के रोजगार की बात है। हमारे द्वारा इसमें 2 करोड़, 38 लाख रुपये दिए जा चुके हैं और रेस्ट एमाउंट, यानी 1 करोड़, 60 लाख रुपये इस मार्च के अंत में दे दिए जाएंगे। यह माननीय सदस्या के प्रश्न का उत्तर है। हमने उसमें एक विवरण भी दिया है। यदि आप उसकी डिटेल्स पूछना चाहेंगी, तो मैं उस पर भी बोल सकता हूं।

श्रीमती कहकशां परवीन : सभापति जी, जो सवाल किया गया था, माननीय मंत्री की ओर से मुझे उसका कोई जवाब नहीं मिला है। इन्होंने किसी सर्वे की बात नहीं बताई है।

<u>प्रश्न संख्या 168 - (क्रमागत)</u>

मेरा सवाल उनके बच्चों से जुड़ा हुआ है। मैं इनसे दूसरा सवाल यह करना चाहती हूं कि जो वहाँ के बुनकर हैं, उन बुनकरों के बच्चों की सेहत और शिक्षा के लिए कौन-कौन से इंतज़ाम किए हैं? बुनकरों की सामाजिक सुरक्षा के लिए कौन-कौन सी योजनाएँ चलाई जा रही हैं? मैं यह भी जानना चाहती हूं कि अगर सरकार की उनकी भविष्य निधि, पेंशन या बीमे की कोई योजना है तो सरकार उसको बताए। मैं आपके माध्यम से जानना चाहती हूं कि उनको रियायती दर पर कर्ज़ देने की इनकी कौन-सी योजना है?

श्री अजय टम्टा : सभापति जी, माननीय सदस्या ने कहा है कि अगर कोई नई गणना करनी है, तो हथकरघा की चौथी गणना अप्रैल, 2017 से प्रारंभ होगी।..(व्यवधान)..मैं आपको एक और बात बता रहा हूं। ..(व्यवधान)..मैं आपको अच्छी जानकारी दे रहा हूं। आपने बोला है ..(व्यवधान)..हमने बुनकरों के लिए पाँच एम.ओ.यूज. साइन किए हैं। हमने बुनकरों के लिए पिछले दिनों जो एम.ओ.यूज. साइन किए हैं, उनमें दो एजुकेशनल एम.ओ.यूज. हैं, जिनमें उनके लिए बारहवीं तक की शिक्षा के लिए stipend की व्यवस्था है, उनको प्रोत्साहित करने की व्यवस्था है। उनके उत्थान के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए, उनकी उच्च शिक्षा के लिए भी हमारे द्वारा, सरकार द्वारा एम.ओ.यूज. साइन किए गए हैं।

प्रश्न संख्या 168 - (क्रमागत)

आपने जो बैंक की बात कही है, उसके लिए मैं बताना चाहता हूं कि बैंक में भी "मुद्रा बैंक" के माध्यम से हमारे वीवर्स के साथ एम.ओ.यूज. साइन किए गए हैं। "मुद्रा बैंक" के माध्यम से उनकी जो लोनिंग होगी, उस पर जो ब्याज लगेगा, उसका 6 प्रतिशत स्वयं भारत सरकार वहन करेगी। यह आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर है।

श्री राम नाथ ठाकुर : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार की "मुद्रा योजना" के अंतर्गत एक निश्चित अनुपात में बुनकरों को इस योजना का लाभ देने की योजना है?

श्री अजय टम्टा : माननीय सभापति जी, "बुनकर मुद्रा योजना" के तहत हमने औसत प्रति व्यक्ति ऋणाई 23 हजार रुपये से बढ़ाकर 50 हजार रुपये कर दी है। इसके अंतर्गत भारत सरकार प्रति पात्र बुनकर को 10 हजार रुपये स्वीकृत मार्जिन मनी देती है।

(KLG/1R पर जारी)

KLG-BHS/1R/12.35

श्री अजय टम्टा (क्रमागत): और जैसा मैंने आपको मुद्रा बैंक का भी बताया कि 6 प्रतिशत की रियायती दर पर ऋण दिया जाता है। इसमें बुनकर को ऋण प्राप्ति के लिए गारंटी देने की जरूरत नहीं है। अभी तक देश में 20,129 बुनकरों को 3.98 करोड़ रुपए का ऋण स्वीकृत किया गया है।

<u>प्रश्न संख्या 168 - (क्रमागत)</u>

श्रीमती सरोजिनी हेम्ब्रम: सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहती हूँ कि सेरिकल्चर सेक्टर में जो टसर सिल्क है, कई राज्यों में ...

श्री सभापति: यह सवाल सिर्फ एक जगह, भागलपुर का है।

श्रीमती सरोजिनी हेम्ब्रम: सर, कई राज्यों में raw material की कमी पड़ रही है। तो हैंडलूम वीवर्स के लिए, उनके प्रोत्साहन के लिए क्या राज्यों में ज्यादा से ज्यादा raw material बैंक खोलने का कोई प्रस्ताव रखा गया है? और, हैंडलूम सेक्टर में जो आरआर पैकेज है, उसकी जो गाइडलाइन्स हैं, वे कॉंप्लीकेटेड हैं, जिसके कारण जितने भी पीडब्लूसीएस हैं, वे इसका फायदा उठाने में समर्थ नहीं हो पा रहे हैं। क्या सरकार ने इन गाइडलाइन्स में कुछ रिलेक्सेशन करने का कोई प्रस्ताव रखा है?

श्री सभापति: देखिए, यह सवाल भागलपुर पर है।

श्रीमती सरोजिनी हेम्ब्रम: सर, मैंने सिल्क के raw material के लिए सवाल पूछा है।

श्री सभापति: भागलपुर में? जी, बता दीजिए।

श्री अजय टम्टा: माननीय सभापति जी, माननीय सदस्या ने टसर से संबंधित raw material पर अपना प्रश्न पूछा है। चूंकि मूल प्रश्न भी हमारी मातृ-शक्ति का है और अभी भी आपने ऐसा पूछा है, तो वास्तव में टसर का raw material जो कोकून होता है, उस कोकून को यार्न के रूप में लाते हैं, वह आपके ध्यान में भी होगा, शायद आपके क्षेत्र में भी हो, दूसरे बाकी मेम्बर्स के क्षेत्र में भी हो। हमने इसमें एक बड़ी पहल की है, इसमें एक बुनियाद रीलिंग मशीन करके इंट्रोड्यूस हुई है। इसका माननीय सदस्या, जो मूल

<u>प्रश्न संख्या 168 - (क्रमागत)</u>

प्रश्नकर्ता थीं, उनको भी पता है। यह काम पहले महिलाओं के द्वारा थाई रीलिंग के द्वारा किया जाता था, जो अमानवीय था और इसमें महिलाओं के शोषण और अल्प-आय की वजह से चिंता थी। हमारी माननीया मंत्री जी ने इसका 8 मार्च, 2017 को शुभारंभ किया है और जो raw material, जो कोकून से यार्न बनना है, उसके लिए बुनियाद रीलिंग मशीन करके लाँच की है। आगामी तीन वर्षों में पूरे देश में दस हजार मशीनें वितरण करने की योजना है, क्योंकि थाई रीलिंग हमने खत्म करनी है। चूंकि आपका प्रश्न raw material पर था, इसीलिए मैं माननीय सदस्या के पहले सवालों का भी जवाब दे देता हूँ, ताकि उनके संज्ञान में आ जाए ओर वे अपने क्षेत्र में जाकर लोगों को बताएं कि हमने 25 हजार रीलिंग मशीनें भागलपुर में दे दी हैं।

MR. CHAIRMAN: Thank you. Shrimati Jaya Bachchan. But is your question on this subject?

SHRIMATI JAYA BACHCHAN: Absolutely! माननीय सभापति जी, मंत्री जी ने बहुत सारे आंकड़े गिनवाए। जो आपने पैसे दिए, उसमें से कितना काम पूरा हुआ है और पैसों का कितना इस्तेमाल हुआ? सिर्फ भागलपुर की बात कर रही हूँ। आप इतना बता दीजिए।

श्री अजय टम्टा: सभापति जी, मैं आपको भागलपुर का बताना चाहता हूँ, जैसा आपने भागलपुर का पूछा है। साल 2014-15 में 17.15 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ भागलपुर मेगा हथकरघा क्लस्टर के विकास के लिए व्यापक हथकरघा क्लस्टर

<u>प्रश्न संख्या 168 - (क्रमागत)</u>

विकास योजना है, जिसमें विभिन्न हस्तक्षेपों के कार्यान्वयन के लिए 9.76 करोड़ रुपए की कुल परियोजना लागत है। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: आप सुन लीजिए।

श्री अजय टम्टा: आप डिटेल पूछ रहे हैं तो मैं डिटेल बता रहा हूँ और भागलपुर की ही डिटेल बता रहा हूँ, माननीय सदस्या जी।

श्रीमती जया बच्चन: मैंने दो शब्द में पूछा है, दो शब्द में ही आप जवाब दे दीजिए, लेकिन आप तो पढ़ रहे हैं, मंत्री जी।

MR. CHAIRMAN: Please. ...(Interruptions)... Jaya*ji,* please. ...(Interruptions)...मंत्री जी, आप अपना जवाब खत्म कीजिए।

श्री अजय टम्टा: माननीय सभापति जी, जब आंकड़े पूछेंगे, तो मुझे पढ़ना पड़ेगा। सभापति जी, इसीलिए हमने 89.25 लाख रुपए की लागत से भागलपुर में डिजाइन स्टूडियो और उत्पादन विकास केन्द्र को स्वीकृत किया है और 49.95 लाख रुपए की लागत के साथ बांका जिले में डाई हाउस बनाने का है और मेगा क्लस्टर में 2.38 करोड़ रुपये दिए भी जा चुके हैं। यह मैंने आपको अलग से अवगत कराया है।

(समाप्त)

(<u>1एस/एकेजी-आरएल पर आगे</u>)

AKG-RL/1S/12.40

प्रश्न संख्या 169

श्री अमर शंकर साबले : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से परियोजना की प्रगति की निगरानी तथा इससे सम्बन्धित मुद्दों का समाधान करने के लिए सचिव, दूरसंचार की अध्यक्षता में अधिकार प्राप्त समिति, USOF के प्रशासक की अध्यक्षता में संचालन समिति तथा राज्य स्तरीय समितियों का जो गठन किया गया है, उनके बारे में यह जानना चाहता हूँ कि उन समितियों की guidelines क्या हैं, उन समितियों में जो सदस्य काम कर रहे हैं, उनके नाम क्या हैं और उनके माध्यम से जो कार्य किया गया है, उसका ब्यौरा क्या है?

श्री मनोज सिन्हा : सभापति महोदय, इस सम्बन्ध में तीन Steering Committees बनाई गई हैं। एक कमिटी Secretary, DoT की अध्यक्षता में बनाई गई है, जिसकी महीने में एक बार बैठक होती है। दूसरी कमिटी USOF के Administrator, जो Joint Secretary rank के अधिकारी हैं, उनकी अध्यक्षता में बनाई गई है और तीसरी कमिटी राज्यों में Chief General Managers की अध्यक्षता में बनाई गई है। NOFN या BharatNet का जो काम चल रहा है, जिसमें cable trenching और ग्राम पंचायतों को optical fibre network से जोड़ने का काम है, उसकी प्रगति का विवरण हम जल्द बताएँगे। हमने एक IFD जारी कर दिया है, जिस पर आने वाले 15 दिनों के बाद हम देश को यह बताएँगे कि इससे कितने ग्राम जुड़ गए हैं और कितने ग्राम link कर दिए गए हैं। प्रोजेक्ट की monitoring ठीक ढंग से हो, इसके लिए तीन समितियाँ बनाई गई

<u>प्रश्न संख्या 169 (क्रमागत)</u>

हैं। उन समितियों के सदस्यों का नाम बताना उचित नहीं है। Secretary, DoT पहली कमिटी के अध्यक्ष हैं; Joint Secretary स्तर के एक अधिकारी, जो USOF के Administrator हैं, दूसरी कमिटी के अध्यक्ष हैं और राज्यों में जो विभिन्न समितियाँ हैं, उनमें Chief General Manager rank के अधिकारी उनके अध्यक्ष हैं।

श्री अमर शंकर साबले : सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि सरकार Digital India कार्यक्रम के तहत digital economy को आगे बढ़ाने में बाधा बनी हुई Merchant Discount Rate (MDR) को कम करने या समाप्त करने हेतु क्या कदम उठाने वाली है?

श्री मनोज सिन्हा : सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो पूरक प्रश्न पूछा है, वह मूल प्रश्न से हट कर है। इन्होंने BharatNet परियोजना के बारे में जानना चाहा है। उसमें सरकार पूरी तन्मयता से लगी हुई है। पहले फेज में हमें इससे एक लाख ग्राम पंचायतों को जोड़ना है, जिसको हम मार्च end तक पूरा करना चाहते हैं। मुझे यह बात बताते हुए खुशी हो रही है कि आज हमने लगभग 96 हजार गाँवों तक trenching का काम कर लिया है और लगभग 80 हजार ग्राम पंचायतों तक optical fibre network पहुँचा दिया है। एक GPON नामक equipment है, जिसकी supply में देरी हुई, जिसके कारण हम सभी ग्राम पंचायतों को link नहीं कर सके हैं। अब उसकी supply भी शुरू कर दी गई है। इसके लिए एक ही vendor था, जिसने supply में देरी की। हमने उसको terminate भी कर दिया है। माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है,

<u>प्रश्न संख्या 169 (क्रमागत)</u>

निश्चित रूप से Digital India परियोजना प्रभावी ढंग से काम करे, यह सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि BharatNet का जो प्रोजेक्ट है, हम उसको timely complete करेंगे। 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को दिसंबर, 2018 के अंत तक optical fibre network से जोड़ना और high speed internet उपलब्ध कराना, यह हमारी सरकार का प्राथमिक दायित्व है।

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, this was one of the programmes that were started by the UPA Government and I congratulate the Minister that by March 31, 2017, something like 90,000 Gram Panchayats would actually be connected through optical fibre and this is an achievement. I think this shows that programmes started by one Government can be continued by another Government. Sir, my question to the hon. Minister is this. Once the optical fibre has reached the Gram Panchayat, has some thought, thinking started on how to provide connectivity to other points in the Gram Panchayat because the way this project was conceived, the optical fibre will reach the Gram Panchayat? That will be achieved but beyond that has the Minister started thinking on how the connectivity within the Gram Panchayat will be provided to other points and other consumers?

<u>प्रश्न संख्या 169 (क्रमागत)</u>

श्री मनोज सिन्हा : सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने सदन के सामने एक बहुत genuine प्रश्न रखा है। मैं माननीय सदस्य के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूँ कि इसके लिए केवल thinking नहीं है, हमने निर्णय कर लिया है कि सभी ग्राम पंचायतों में कम से कम दो Wi-Fi hotspot लगा कर दो स्थानों पर हम लोगों को यह connection देंगे, ताकि उसका सीधा लाभ वहाँ के ग्रामीण जनों को मिल सके।

(1टी/एससीएच पर आगे)

DC-SCH/12.45/1T

श्री अजय संचेती : सर, नागपुर से मुम्बई के लिए महाराष्ट्र सरकार ने super communication highway बनाने का प्रस्ताव मंजूर किया है और land acquisition का काम भी तकरीबन पूरा हो चुका है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा, for providing the technology of broadband and everything, क्या भारत सरकार उसके साथ hand in glove करके, इस काम को तेजी से आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे सकती है?

श्री मनोज सिन्हा : महोदय, इस परियोजना का जो द्वितीय चरण है, उसमें राज्य सरकारों की सहभागिता के आधार पर ही हम शेष डेढ़ लाख ग्राम पंचायतों को जोड़ने जा रहे हैं। यदि महाराष्ट्र सरकार इस तरह का कोई प्रस्ताव भारत सरकार के पास भेजेगी, तो हमें खुशी होगी और भारत सरकार महाराष्ट्र सरकार का जो भी सहयोग कर सकेगी, निश्चित रूप से करेगी।

<u>प्रश्न संख्या 169 (क्रमागत)</u>

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद : माननीय सभापति महोदय, चूंकि नेटवर्क की बड़ी प्रॉब्लम रहती है, call drop की भी बड़ी शिकायतें रहती हैं और बीएसएनएल का नेटवर्क भी बहुत खराब रहता है। माननीय मंत्री जी उत्तर प्रदेश से हैं और हम उन्हें बधाई देते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि शायद आगे भी वे उत्तर प्रदेश का कार्यभार संभालेंगे।...(व्यवधान)...

श्री सभापति : आप अपना सवाल पूछिए।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद : उत्तर प्रदेश में fibre networking कब तक आ रही है? अब तक कितनी ग्राम पंचायतों को fibre networking से जोड़ा जा चुका है और उत्तर प्रदेश के लिए आगे की क्या योजना है?

श्री मनोज सिन्हा : माननीय सदस्य ने उत्तर प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों का विवरण जानना चाहा है, तो मैं लिखित रूप से इनको पूरा विवरण उपलब्ध करवा दूंगा, लेकिन मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में कार्य की प्रगति काफी अच्छी है। प्रथम चरण में जो गांव लिए गए हैं, उनमें से लगभग 80 प्रतिशत गांवों में हमारा काम पूरा हो चुका है और शेष काम को भी हम जल्दी ही पूरा कर लेंगे।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद : वहां पर call drop की भी बड़ी शिकायत रहती है, उस पर भी कृपया मंत्री महादेय अपना उत्तर दें।

<u>प्रश्न संख्या 169 (क्रमागत)</u>

श्री मनोज सिन्हा : आप या तो मुझे अपना उत्तर पूरा कर लेने दीजिए या अपना सवाल पूछ लीजिए। यदि आप बैठ जाएं, तो मैं आपको इसका उत्तर बताता हूं।

महोदय, इन्होंने जो दूसरा प्रश्न उठाया है...(व्यवधान)...

श्री सभापति : आप एक ही सवाल का जवाब दीजिए, थैंक्यू।

(समाप्त)

Q.No.170

SHRIMATI AMBIKA SONI: Sir, my question has three parts. Two have been replied in a way that I cannot ask any further questions on them, which were regarding the Special Package initiated in 2016 and the Duty Drawback Scheme. Their reply is that there were 4,28,845 claims and Rs. 1,470 crores had to be paid back. In six months, this Ministry has been able to pay back only 5,637 claims amounting to Rs. 29 crores. If that is the speed they are going to work with, I have very little to comment on. Their answer to my second question is that the budgetary provisions have finished and they still owe almost Rs. 60 crores. The first part of my question is: How is the Ministry thinking of a major revamp? As the Chair is aware, during the last couple of years, Bangladesh has overtaken India in the export of garments, which, of course, causes tremendous amount of unemployment in our country. Those working in this sector are the vulnerable sections of our society and they lost their jobs. The hon. Minister has enumerated one dozen schemes which have been working for many years. I want to ask the hon. Minister as to whether the Ministry is thinking of some specific steps to be taken to modernize the infrastructure of the Ministry of Textiles all across and what steps are being taken to help those people who work in these mills

प्रश्न संख्या 170 (क्रमागत)

and factories. Their mills have been closed. How many sick mills have been revived in the last three years?

श्री अजय टम्टा : माननीय सदस्य महोदया ने काफी प्रकार की चिंताओं को एक साथ अभिव्यक्त किया है, मगर जैसा कि प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया जा चुका है कि लम्बित दावों की कुल संख्या में से अभी तक जो दावे निपटाए जा चुके हैं, उनकी संख्या 5,637 है। मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि आपने Duty Drawback Scheme, ROSL का जो प्रश्न उठाया है, हमने आपको पहले ही बता दिया है कि यह संख्या बहुत कम आई है। चूंकि यह योजना अभी 20 सितम्बर, 2016 से ही लागू की गई है, अत: अभी इस योजना को शुरू हुए बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है।

चालू वित्तीय वर्ष में इसके लिए वित्तीय आवंटन 400 करोड़ रुपये का था, जिससे 5000 से अधिक दावों को निपटाया जा चुका है।

(1U/rpm-kr पर जारी)

RPM-KR/1U/12.50

श्री अजय टम्टा (क्रमागत): सभापति जी, जो बात माननीय सदस्या ने ड्यूटी ड्रॉबैक के बारे में पूछी है, उसके बारे में मैं बताना चाहता हूं कि 29 करोड़ रुपए आज की तारीख तक वितरित किए जा चुके हैं।

<u>प्रश्न संख्या 170 (क्रमागत)</u>

महोदय, इस वित्तीय वर्ष में 400 करोड़ रुपए की धनराशि मार्च माह के अन्त तक वितरित कर दी जाएगी। दावों को निपटाने में तेजी लाने के लिए वस्त्र मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2016-17 में मार्च माह में, चूंकि राजस्व विभाग द्वारा पैसे का वितरण किया जाता है और ये सारी चीजें निपटाई जाती हैं, इसलिए राजस्व विभाग को पूर्ण रूप से इसे निपटाने के लिए 400 करोड़ रुपए दिए हैं। उनसे लगातार हम चर्चा भी कर रहे हैं।

महोदय, 1400 करोड़ रुपए से अधिक के दावे प्राप्त हुए हैं, जिनका निपटान 'पहले आओ-पहले पाओ' के सिद्धान्त पर किया जाता है। चूंकि निपटारे का जो सिस्टम है, वह कम्प्यूटराइज्ड है, इसलिए वह पैसा कंप्यूटर के माध्यम से ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाता है।

SHRIMATI AMBIKA SONI: Sir, my first supplementary has not been answered. The Minister has read out the written reply which I also read out.

MR. CHAIRMAN: Please ask your second supplementary.

SHRIMATI AMBIKA SONI: What happened to my first supplementary?

MR. CHAIRMAN: Please write to the Chair that your question has not been answered.

SHRIMATI AMBIKA SONI: All right, Sir. My second question is really a follow up, if I got an answer for my first question on demonetization which has caused tremendous misery to the people working in this sector. It is

<u>प्रश्न संख्या 170 (क्रमागत)</u>

one of the largest employers in our country. I know that in cities like Ludhiana and Amritsar people working in hosiery mills lost their jobs overnight because there was no way they could be paid.

MR. CHAIRMAN: Put your question.

SHRIMATI AMBIKA SONI: The question naturally comes, what are the special packages this Ministry has to overcome calamities either imposed by the Government due to demonetization to help those poor people working in those sick mills, who have lost their jobs, who have suddenly, from one day to the other day, become destitute? You can't leave the entire family a financially vulnerable people without means of livelihood. What is the special package does the Ministry have?

श्री अजय टम्टा: माननीय सभापति जी, माननीय सदस्या द्वारा जो प्रश्न पूछे गए हैं, उनके बारे में मैं बताना चाहता हूं कि जो पुरानी स्कीमें थीं, वे सारी स्कीमें अभी भी चल रही हैं और उन स्कीमों में हमने बजट का आवंटन भी किया है। आपने विशेष पैकेज की बात भी पूछी है। मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि वर्ष 2016-17 में वस्त्र मंत्रालय का कुल बजट रु. 4,598.84 करोड़ रुपए था जो कि वर्ष 2017-18 में बढ़कर रु. 6,226.50 करोड़ रुपए का किया गया है। यह धन पुरानी योजनाओं के साथ-साथ नई योजनाओं पर भी व्यय किया जाएगा। इसमें रु. 6,000.00 करोड़ रुपए माननीय प्रधान मंत्री जी ने

<u>प्रश्न संख्या 170 (क्रमागत)</u>

स्वयं इन योजनाओं को और बढ़ाने तथा लोगों को रोजगार और ज्यादा मिले इस दृष्टि से रखे गए हैं। देश के जो छोटे-छोटे बुनकर और वीवर्स हैं तथा बाकी के जो और लोग ऐपेरल गारमेंट्स से जुड़े हुए हैं, जो छोटे-छोटे कामों को करते हैं, उनके लिए इस योजना में विशेष ध्यान दिया गया है।

महोदय, मैं माननीय सदस्या को अवगत कराना चाहता हूं कि भारतीय वस्त्र उद्योग मैन्यूफेक्चरिंग सेक्टर में 10 प्रतिशत, भारत की जीडीपी में 2 प्रतिशत और देश के निर्यात में 13 प्रतिशत योगदान देता है और पूरे देश के अंदर लगभग 4.50 करोड़ लोगों को रोजगार देता है। आपने जिस समस्या को उठाया है, उसके बारे में मैं बताना चाहता हूं कि परिधान और मेड अप्स क्षेत्र के रोजगार सृजन को बढ़ाने के लिए माननीय प्रधान मंत्री जी ने हमें विशेष पैकेज दिया है।

महोदय, अगले तीन वर्षों में 1 करोड़ 11 लाख नौकरियों को सृजित करने के उद्देश्य से ऐपेरल गारमेंट्स को हम चला रहे हैं और इस काम को बढ़ा रहे हैं। परिधान और मेड अप्स क्षेत्र में सब्सिडी को 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत कर दिया गया है और अधिकतम सीमा को बढ़ाकर 50 करोड़ रुपए कर दिया गया है। यह सब्सिडी आउटपुट आधारित है। अपेक्षित नौकरियों के सृजन के बाद, तीन वर्षों के पश्चात् इसकी पुनरीक्षा की जाएगी।

<u>प्रश्न संख्या 170 (क्रमागत)</u>

महोदय, माननीय सदस्या के प्रश्न में जिस प्रकार की शंकाएं थी, उन्हें मैंने दूर करने का प्रयास किया है। आपने गरीब मजदूरों के ईपीएफ के बारे में पूछा है। मैं इस बारे में बताना चाहता हूं कि उनके बारे में भी हमने इसमें प्रोविजन किया है। पहले तीन साल में पंजीकृत होने वाले सभी कर्मचारियों को "प्रधान मंत्री परिधान रोजगार योजना" के माध्यम से ईपीएफ में 12 प्रतिशत सरकार स्वयं देगी। इसका फैक्टरी मालिकों पर कोई लोड नहीं है। इसे फैक्टरी मालिक नहीं देगा। ये सारी चीजें रोजगार को बढ़ावा देने के लिए ही की गई हैं। आपने अन्य बहुत सारी चीजें विभाग के बारे में पूछी हैं। चूंकि विभाग के बारे में यह उत्तर बहुत लम्बा है, इसलिए यदि आप चाहेंगी और कहेंगी, तो मैं इस पूर्ण जानकारी को आपको भिजवा दूंगा।

SHRIMATI VIJILA SATHYANANTH: Mr. Chairman, Sir, Tamil Nadu is a leading State in the country in the textile sector. Erode, Salem, Karur and Namakkal constitute major textile belt. Out of that, 2000 processing units discharge effluents into the Cauvery River.

(Continued by 1W/KS)

KS-PSV/1W/12.55

SHRIMATI VIJILA SATHYANANTH (contd.): Our leader, the former hon. Chief Minister, late *Puratchi Thalaivi Amma*, had announced a scheme for rehabilitation of these units to achieve zero liquid discharge. We have sent

प्रश्न संख्या 170 (क्रमागत)

four proposals for approval. The Detailed Project Reports of Kadayampatti and Bhavani Clusters have been sent to the Ministry of Textiles for the sanction of Government of India's share of funding under the Integrated Processing Development Scheme. I would like to know from the hon. Minister whether these proposals, with an estimated project cost of Rs. 160 crore and Rs. 92.21 crore, have been approved by the Ministry of Textiles.

श्री अजय टम्टा: माननीय सभापति जी, माननीय सदस्य ने अपने किसी क्षेत्र विशेष की बात की है। मेरा निवेदन है कि माननीय सदस्य की बातों को हम लोग संज्ञान में ले रहे हैं। हम उसकी जानकारी लेंगे। हमने तमिलनाडु में 2,000 करोड़ रुपये स्वीकृत किये हैं, जिसमें स्वीकृति के पूरे दस्तावेज आपकी तरफ से लम्बित हैं। हम उनको एक बार फिर चेक करा लेंगे और अगर आवश्यकता पड़ेगी, तो उसको देख लेंगे। हमने 2,000 करोड़ रुपये रिलीज किए हैं। By the way, आपके प्रस्ताव के जो दस्तावेज लम्बित हैं, उनको हम चेक करा लेंगे।

SHRIMATI VIJILA SATHYANANTH: Sir, I am asking about the Kadayampatti and Bhavani Clusters.

श्री सभापति: आप वह इन्फॉर्मेशन लेकर ऑनरेबल मेम्बर को दे दीजिए।

श्री अजय टम्टा: सर, वह किसी विशेष क्षेत्र का है। मैं उसको चेक करा लूँगा।

प्रश्न संख्या 170 (क्रमागत)

श्री आनंद भास्कर रापोलू: माननीय सभापति महोदय, मैं खुद बुनकर होने के नाते देश भर के बुनकरों के दु:ख और उनकी दुखद अवस्था को पूरा समझ सकता हूँ, चाहे वह टेक्सटाइल सेक्टर का हो, पावरलूम का हो या हथकरघा के क्षेत्र का हो।

Sir, the textile sector is being misconstrued as being just a singular avocation for production of textiles whereas we have powerlooms, handlooms, handicrafts, etc., which are quite different. I would focus on powerlooms.

MR. CHAIRMAN: Question, please.

SHRI ANANDA BHASKAR RAPOLU: During the UPA regime, the Union Budget had taken into consideration the existence of the powerloom sector and done everything to promote the powerloom sector with reduced interest rates and reasonable credit facilities. Due to demonetization and its aftermath, Bhiwandi and Surat in Maharashtra and Gujarat...

MR. CHAIRMAN: What is your question?

SHRI ANANDA BHASKAR RAPOLU: Sir, lakhs of workers have been displaced. In this situation, I would like to know whether the Ministry of Textiles is focusing on powerlooms protection and whether they are going to

<u>प्रश्न संख्या 170 (क्रमागत)</u>

protect powerloom weavers by providing credit facilities at reduced interest rates.

श्री अजय टम्टा: माननीय सभापति जी, माननीय सदस्य महोदय ने पावरलूम के लिए ...(व्यवधान)...

MR. CHAIRMAN: Silence in the House, please!

श्री अजय टम्टा: महोदय, उन्होंने पावरलूम के लिए जो चिन्ता व्यक्त की है, तो वास्तव में पावरलूम की समस्या अलग प्रकार की है। उसमें मास्टर्स लोग काम करते हैं, कई मशीनें रहती हैं, जो यार्न से संबंधित होती हैं, बिजली से संबंधित होती हैं और कहीं बिजली की कटौती रहती है, तो कहीं बिजली नहीं मिल पाती। ...(व्यवधान)...

SHRI ANANDA BHASKAR RAPOLU: Sir...

MR. CHAIRMAN: Please don't interrupt.

श्री अजय टम्टा: प्रश्न का उत्तर आने दीजिए। ...(व्यवधान)... प्रश्न का उत्तर आने दीजिए।

इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए हमने सौर ऊर्जा की योजना बनाई है। माननीय प्रधान मंत्री जी का विज़न ग्रीन एनर्जी के माध्यम से है, ताकि हमारे पावरलूम्स किसी प्रकार से प्रभावित न हों, उनका रोजगार किसी प्रकार से बाधित न हो, उनको लगभग पूरी दिहाड़ी मिले और उनका उत्पादन पूरा हो। हम इस समस्या का समाधान शुरू करने जा रहे हैं। मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ कि इस योजना को हम बहुत

<u>प्रश्न संख्या 170 (क्रमागत)</u>

जल्दी शुरू कर रहे हैं। इसका उद्देश्य भी यही है कि पावरलूम सेक्टर में काम करने वाले लोगों को फायदा हो। यह काम शुरू हो, इसके लिए हमने दो प्रकार की योजनाएँ बनाई हैं- ऑनग्रिड सोलर पावर प्लांट की योजना और ऑफग्रिड सोलर पावर प्लांट की योजना। जिनकी इकाई शेड है, उनके लिए पात्रता है। जिनके पास 4 पावरलूम्स हैं …(व्यवधान)…

SHRI ANANDA BHASKAR RAPOLU: Sir, banks are not clearing.…

MR. CHAIRMAN: Please don't interrupt, Mr. Rapolu. …(Interruptions)…

श्री अजय टम्टा: माननीय सभापति जी, जो पावरलूम …(व्यवधान)…

MR. CHAIRMAN: Will you please stop interrupting? …(Interruptions)… Please do not interrupt.

श्री अजय टम्टा: माननीय सभापति जी, जिनके पास चार पावरलूम्स हैं, उनके लिए 4,50,000 की स्कीम है, जिसमें हमने सब्सिडी की भी व्यवस्था की है। जो सामान्य जाति के हैं, उनके लिए 50 परसेंट की सब्सिडी है, जो एससी के हैं, उनके लिए 75 परसेंट की सब्सिडी है और जो शैड्यूल्ड ट्राइब्स के हैं, उनके लिए 90 प्रतिशत की सब्सिडी है।

<u>(1एक्स/वीएनके पर जारी)</u>

VNK-RSS/1X/1.00

प्रश्न संख्या 170 (क्रमागत)

श्री अजय टम्टा (क्रमागत) : यह 4 लूम्स, 6 लूम्स और 8 लूम्स के लिए है। हमारी यह योजना जल्दी ही क्रियान्वित हो रही है। हम इसको 1 अप्रैल से पूरे देश के अंदर लागू कर देंगे।

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over. The House stands adjourned till 2.30 p.m.

--

The House then adjourned for lunch at one of the clock.